मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3128
06.12.2019 को उत्तर के लिए

प्रदूषण से पर्यावरण को हानि

3128. श्री शंकर लालवानीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में प्रदूषण से पर्यावरण को हुए नुकसान की प्रमात्रा का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (घ) : कुछ श्रेणियों के संबंध में पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/प्राधिकरण पर जुर्माने के तौर पर प्रभारित की जाने वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन करने हेतु पद्धतियां विकसित की गई हैं। इनमें औद्योगिक इकाइयों द्वारा उल्लंघन के मामले, ग्रेडेड रिस्पांस कार्य-योजना (जीआरएपी) के उल्लंघन के मामले, एनसीआर-दिल्ली, संबधित व्यक्ति/प्राधिकरण द्वारा अशोधित मल-जल का निस्सरण और "संबंधित नगर-प्राधिकरण द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का अनुपालन न किए जाने के मामले शामिल हैं" **(अनुबंध-I)**। इसके आधार पर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मानकों का अनुपालन न करने वाले उद्योगों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में 52.63 करोड़ रूपए की राशि प्रभारित की गई हैं।

****

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना के लिए विकसित पद्धतियों का संक्षिप्त विवरण और उनकी मुख्य विशेषताएं:

निम्नलिखित श्रेणियों के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना करने हेतु पद्धतियों तैयार की गई हैं।

1. औद्योगिक इकाइयों द्वारा उल्लंघन के मामले
2. ग्रेडेड रिस्पांस कार्य-योजना (जीआरएपी) के उल्लंघन के मामले, एनसीआर-दिल्ली
3. संबधित व्यक्ति/प्राधिकरण द्वारा अशोधित मल-जल का निस्सरण
4. संबंधित नगर – प्राधिकरण द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का अनुपालन न किए जाने के मामले

प्रत्येक श्रेणी का संक्षिप्त सार नीचे दिया गया है:

1. साझा अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों सहित औद्योगिक इकाइयां

निस्सरण/उत्सर्जन मानकों, सहमति की शर्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि के निदेशों के उल्लंघन के मामले में निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर पर्यावरणी क्षतिपूर्ति प्रभारित की जाती है:

$$EC = PI \times N \times R \times S \times LF$$

जिसमें,

EC = पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ₹ में
PI = औद्यागिक क्षेत्र का प्रदूषण सूचकांक *(लाल-80, नारंगी – 50 और हरा – 30 के लिए)*
N = उन दिनों की संख्या जिन दिनों में उल्लंघन हुए
R = ईसी के लिए रूपए का एक घटक (₹) (100-500, प्रस्तावित - 250)
S = कार्य के पैमाने के लिए घटक *(छोटे-0.5, मध्यम-1.0, बड़े-1.5)*
LF = स्थान घटक *(1 से 2, प्रस्तावित जनसंख्या और पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता के आधार पर)*

- न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभार 5000 रूपए प्रतिदिन और अधिकतम 60,000 रूपए प्रतिदिन तक।
- यदि उल्लंघन लगातार या बारंबार हो, तो पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 2, 4 और 8 गुणा बढ़ाया जा सकता है।
- पर्यावरण को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाने के मामले में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का निर्धारण विशेषज्ञ संस्थाओं/संगठनों द्वारा विस्तृत जांच के आधार पर किया जाएगा।

2. एनसीआर-दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस कार्य-योजना (जीआरएपी) के उल्लंघन के मामले

एनसीआर-दिल्ली में, जीआरएपी के कार्यान्वयन में विफल रहने के मामले में, कार्यान्वयन एजेंसी पर नीचे तालिका में उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की निर्धारित राशि प्रभारित की जाती है।

कार्य-कलाप	वायु गुणवत्ता सूचकांक की श्रेणी	पर्यावरणी क्षतिपूर्ति की राशि (₹)
औद्योगिक उत्सर्जन	अति गंभीर/आपातकाल	1.0 करोड़ रूपए
	गंभीर	50 लाख रूपए
	बहुत खराब	25 लाख रूपए
	मध्यम से खराब	10 लाख रूपए
तेल कंपनियों के विक्रय केंद्रों पर वाष्प बहाली प्रणाली (वीआरएस)		
i. संस्थापित नहीं	लक्षित तिथि	1.0 करोड़ रूपए
ii. कार्यशील नहीं	बहुत खराब से अति गंभीर	50.0 लाख रूपए
	मध्यम से खराब	25.0 लाख रूपए
निर्माण स्थल (20,000 वर्ग मि. से अधिक का उल्लंघन करने वाले क्षेत्र)	अति गंभीर/आपातकाल	1.0 करोड़ रूपए
	गंभीर	50 लाख रूपए
	बहुत खराब	25 लाख रूपए
	मध्यम से खराब	10 लाख रूपए
औद्योगिक क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट/कचरा जमा करना	बहुत खराब से अति गंभीर	25.0 लाख रूपए
	मध्यम से खराब	10.0 लाख रूपए
कच्ची सड़कों पर जल छिड़काव न किया जाना		
हॉट-स्पॉट	बहुत खराब से अति गंभीर	25.0 लाख रूपए
हॉट-स्पॉटों को छोड़कर	बहुत खराब से अति गंभीर	10.0 लाख रूपए

3. **संबंधित व्यक्ति/प्राधिकरण द्वारा अशोधित मलजल का निस्सरण**

- संबंधित व्यक्ति या प्राधिकरण, जो अशोधित मलजल के निस्सरण के लिए जिम्मेदार होता है, पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रभारित की जाती है।
- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति में 3 घटक हैं:
  - i. **पूंजीगत लागत का एक बार का घटक** (व्यक्ति/प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित मलजल नेटवर्क और शोधन केंद्र स्थापित न करके बचाई गई लागत)।
  - ii. अपेक्षित प्रणाली संस्थापित और प्रचालित न करके बचाई गई प्रचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) लागत के लिए **आवर्ती घटक**
  - iii. पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए लागत का **आवर्ती घटक**
- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि को युक्तिसंगत बनाने के लिए, शहर की श्रेणी, अर्थात् महानगर, 10 लाख की आबादी से अधिक वाले शहर तथा श्रेणी-I के शहर एवं अन्य के आधार पर ऊपर उल्लिखित लागत घटकों की न्यूनतम एवं अधिकतम राशियों का निर्धारण किया जाता है।
- **लगातार किए जाने वाले उल्लंघन** के मामलों को प्रभावी ढंग से रोकने के घटक को शामिल करने हेतु, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय-सीमा के बीत जाने पर प्रत्येक 6 माह के बाद प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत तथा पर्यावरणीय क्षति के लिए लागत संबधी घटक में 2, 4 और 8 गुणा वृद्धि की जा सकती है ताकि शहर/कस्बे या परियोजना के मलजल का पूर्ण शोधन सुनिश्चित किया जा सके।

4. **संबंधित नगर प्राधिकरण द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का अनुपालन न किए जाने के मामले**

- संबंधित शहरी स्थानीय निकाय, जो निर्धारित क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है, पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (ईसी) प्रभारित की जाती है।
- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति में 3 घटक हैं:
  - i. **पूंजीगत लागत का एक बार का घटक (अपेक्षित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित न करके बचाई गई लागत)**
  - ii. अपेक्षित प्रणाली संस्थापित और प्रचालित न करके बचाई गई प्रचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) लागत के लिए **आवर्ती घटक**
  - iii. पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए लागत का **आवर्ती घटक**

- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि को युक्तिसंगत बनाने के लिए, शहर की श्रेणी, अर्थात् महानगर, 10 लाख की आबादी से अधिक वाले शहर तथा श्रेणी-I के शहर एवं अन्य के आधार पर ऊपर उल्लिखित लागत घटकों की न्यूनतम एवं अधिकतम राशियों का निर्धारण किया जाता है।

- यदि नगरीय ठोस अपशिष्ट में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट या खतरनाक अपशिष्ट का मिश्रण पाया जाता है, तो पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की पूंजीगत लागत संबंधी घटक को 1.5 के गुणक से बढ़ाया जा सकता है।

- लगातार उल्लंघन के मामलों के लिए उन्हें प्रभावी ढंग से रोकने हेतु मलजल शोधन केंद्र के समान ही नियम लागू किए जा सकते हैं।

*****